

अनिवार्य

Page No

Ques No

01. — 03 — 01
02 — 07 — 05
04 — 12 — (iii)
05 — 04 — 02

~~अनिवार्य~~

अनिवार्य

16 — 37 — 02

17 — 34 — 08

20 — 38 — 01. (छिड़ार में कुपड़
मापद्वारे की दंडा रूप
(नमूनाओं का वर्णन
करें)

आपदा संबंधित

30 — 25 — 09

31 — 26 — 03

अनौपचारिक

21 — 21 — 05

25 — 16 — 04

~~26~~ — 13 — 03

४. अधिक महत्व है। जैसे- जैसे वर्षा को धारा धारों में बदली है, जैसे- जैसे धाराधरुति में परिवर्तन होता है।

प्रश्न ३. वनस्थिति जंगल एवं प्राणी जंगल हमारे अस्तित्व के लिए क्यों आवश्यक है?

उत्तर—वनस्थिति जंगल एवं प्राणी जंगल हमारे अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है। मानव जीवन के लिए इनकी अनेक उपयोगिताएँ हैं। वनस्थिति जंगल ही वातावरण की गुणवत्ता निर्धारित करता है। जैसे- कार्बन डाई ऑक्साइड की धारा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, धिड़ी-अधरदन को रोकना, धरतियों की सतह द्वारा धिड़ी की उर्वरता को बढ़ाना आदि। इसके साथ-साथ वे हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं।

इसी तरह प्राणी जंगल भी हमारे अस्तित्व के लिए अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति का पारिविध्यिक चक्र के समस्त संभालन में योगदान है। सभ्यता के विकास में विभिन्न प्राणियों का सहयोग है। पशुधन अपने आहार एवं कृषि-कार्य के लिए विभिन्न प्राणियों पर आश्रित है। दूध, घी, ऊन, चमड़ा आदि के लिए पशुधन पशुओं पर ही निर्भर है।

इस प्रकार, हमारे अस्तित्व के लिए वनस्थिति जंगल तथा प्राणी दोनों का होना अनिवार्य है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न ① लोकतंत्र किसे कहा जाता है?

उत्तर—एक ऐसी शासन व्यवस्था, जिसमें शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है एवं शासन जनता के हित में होता है, लोकतंत्र कहलाती है। इस व्यवस्था में स्वतंत्रता तथा समानता का विशेष महत्व होता है।

को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गयी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए मौलिक अधिकार अति आवश्यक होता है। भारत, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं अन्य लोकतांत्रिक देशों के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है।

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1. मौलिक अधिकारों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर—मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिनका उल्लेख संविधान में रहता है। इन्हीं अधिकारों

प्रश्न 2. भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें।

उत्तर—मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य निश्चित नहीं थे। 1976 में संविधान में 42वें संशोधन द्वारा पहली बार नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। भारतीय नागरिकों के लिए ग्यारह मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:—

- (i) संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय झंडे और राष्ट्रगान का आदर करना।
- (ii) राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रोत्साहित करने वाले आदर्शों का पालन करना।
- (iii) देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहना।
- (iv) सभी भेदभाव समाप्त कर भाईचारा बढ़ाना।
- (v) भारतीय संस्कृति की रक्षा करना।
- (vi) वन, झील, नदी एवं जंगली जीवों की रक्षा करना।
- (vii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- (viii) देश की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना।
- (ix) सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करना।
- (x) राष्ट्र के अधिकतम विकास के लिए कदम उठाना।
- (xi) माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।